

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

सं0सं0-02/परी0-08/रा0वाद0-12/2016-1534

प्रेषक,

संजीव कुमार,
उप सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक- 04-10-2024

विषय:- केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा ऑनलाईन राजस्ववाद अभिलेखन के स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- दिनांक-26.09.2024 को सम्पन्न केन्द्रीय परीक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय।

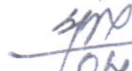
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि दिनांक-26.09.2024 को माननीय अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न केन्द्रीय परीक्षा समिति की बैठक में राजस्ववाद अभिलेख के संदर्भ में लिये गये निर्णय निम्नवत् है:-

1. भा0प्र0से0, बि0प्र0से0 एवं राजस्व सेवा के पदाधिकारियों के लिए दिनांक-16.10.2024 से राजस्ववाद अभिलेख का ऑनलाईन अभिलेखन किया जायेगा।
2. दिनांक-16.10.2024 के उपरांत राजस्व पर्षद कार्यालय में प्राप्त नए मैनुअल राजस्ववाद अभिलेख को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
3. त्रुटिमार्जन हेतु प्रेषित राजस्ववाद अभिलेख को इस पत्र के निर्गत की तिथि से 60 दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में पूर्ण रूप से त्रुटिमार्जित कर उपलब्ध कराने का अंतिम अवसर प्रदान कि गयी है। साथ ही उक्त अवधि के बाद प्राप्त मैनुअल अभिलेख या त्रुटियुक्त अभिलेख को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा संबंधित पदाधिकारी को ऑनलाईन राजस्ववाद अभिलेखन करना होगा।

अतः अनुरोध है कि केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा राजस्ववाद अभिलेख की स्वीकृति/अस्वीकृति एवं त्रुटिमार्जन के संदर्भ में लिये गये निर्णय के आलोक में अपने अधीनस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारी को उक्त के अनुपालन हेतु संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,


04.10.24
(संजीव कुमार)

उप सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं0सं0-02/परी0-08/रा0वाद0-12/2016-1534 पटना, दिनांक- 04-10-2024

प्रतिलिपि:- सचिव राजस्व पर्षद, बिहार, पटना का कोषांग/माननीय अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


04.10.24
(संजीव कुमार)

उप सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।